

परिवहन निविदा

कृष्णा फोस्फैम लिमिटेड यूनिट ऑफ़ ओस्तवाल ग्रुपऑफ़ इंडस्ट्रीज

कृष्णा फोस्फैम लिमिटेड लिमिटेड, ग्राम- मेघनगर, जिला-झाबुआ, (मध्य प्रदेश) से अपने उर्वरक और अन्य उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्य के सभी जिलो मे परिवहन के लिए पंजिकृत ट्रान्सपोटर से निविदा आमंत्रित करता है।

निविदा प्रपत्र कम्पनी की वेब साइट से डाउनलोड करें-

www.krishnaphoschem.com / www.ostwal.in

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथी 15.09.2023 समय:अपराह्न 3:00बजे तक है।

*नियम व श्तेरं लागू

निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता -

Eligibility for participating in the tender -

1. ट्रांसपोर्ट मालिक / कंपनी के नाम कम से कम 10 ट्रक / ट्रेलर सम्बन्धित राज्य से पंजीकृत होना चाहिए। (निविदा फॉर्म के साथ आर सी की कॉपी लगाए)

At least fifteen trucks / trailers should be registered in the name of the transport owner / company from the respective state. Attach a copy of the RC along with the tender form.

2. पिछले वित्त वर्ष का न्यूनतम टर्नओवर रूपए 5 करोड़

The minimum turnover of the previous financial year should be Rs.5 corers

3. परिवहन व्यवसाय में कमसे कम 5 वर्ष का अनुभव

Minimum 5 years' experience in transport business

4. जी एस टी के तहत ट्रांसपोर्ट कंपनी का पंजीकरण संख्या

Registration number of the transport company under GST

5 . सम्बंधित राज्य में ऑफिस (कार्यालय) का प्रमाण

Proof of office in the concerned state

ओस्तवाल ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज परिवहन निविदा प्रपत्र
पंजीकृत कार्यालय- 5-ओ-20/21 आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा-311001 (राज.)

क्र. न.	प्लांट का नाम	पता	प्लांट की क्षमता मीट्रिक टन/ वर्ष
1	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-II	इंडस्ट्रियल एरिया सौराई, तहसील-बण्डा, सागर (म.प्र.)	380000
2	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-I	ग्राम-रजौआ, जिला-सागर (म.प्र.)	60000
3	कृष्णा फोस्फैम लिमिटेड	मेघनगर, जिला-झाबुआ (म.प्र.)	320000
4	ओस्तवाल फोस्फैम इंडिया लिमिटेड	तहसील- हमीरगढ़, जिला- भीलवाड़ा (राज.)	132000
5	श्री गणपति फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	तहसील- कपासन, जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)	99000
कुल क्षमता=			991000

1. ट्रांसपोर्टर का नाम -
2. पता -
3. संपर्क नंबर-
4. ईमेल आईडी -
5. जीएसटी सं.-
6. ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में अनुभव-
7. पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर-
8. ट्रक/ ट्रेलर की संख्या -

हस्ताक्षर -

प्लांट जिस के लिए आप Bidding कर रहे हैं - (कृपया ✓ टिक करे)

1. मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-I
ग्राम-रजौआ, जिला-सागर (म.प्र.)
2. मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-II
इंडस्ट्रियल एरिया सौराई, तहसील-बण्डा, सागर (म.प्र.)
3. ओस्तवाल फोस्कैम इंडिया लिमिटेड
तहसील- हमीरगढ़, जिला- भीलवाड़ा (राज.)
4. कृष्णा फोस्कैम लिमिटेड
मेघनगर, जिला-झाबुआ (म.प्र.) ✓
5. श्री गणपति फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
तहसील- कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर-

नोट - कृपया परिवहन निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें –

1. जीएसटी प्रमाणपत्र
2. वाहन स्वामित्व: की आरसी बुक कॉपी
3. पिछले साल की आई.टी. रिटर्न & बैलेंस शीट कॉपी
4. पिछले वर्षों का अनुभव स्व-प्रमाणन पत्र
5. कार्यालय का पता के प्रमाण की प्रति।

उर्वरक के परिवहन के लिए नियम और शर्तें

1. ट्रांसपोर्टर को कंपनी में रूपए 15 लाख सिक्योरिटी राशि चेक/DD/RTGS से जमा करानी होगी | अनुबंध की शर्तों का पालन करने में ट्रांसपोर्टर की विफलता की स्थिति में अथारत माल की कम डिलीवरी , नुकसान, देरी से उठाना / डिलीवरी, पावती रसीद प्रस्तुत नहीं करने आदि होने पर कंपनी को हुए आर्थिक नुकसान को, कंपनी को सिक्योरिटी राशि से वसूल करने का अधिकार सुरक्षित होगा। निविदा अनुबंध की अवधि 31.03.2024 तक है | सिक्योरिटी राशि अनुबंध की अवधि समाप्ति पर काम के संतोषजनक समापन पर प्रासंगिक कटौती के बाद ट्रांसपोर्टर द्वारा कोई देय नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी |
2. कंपनी समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी विशिष्ट मात्रा में काम की गारंटी नहीं देता है। समझौता स्वयं ट्रांसपोर्टर को यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं देता है कि संपूर्ण कार्य आवश्यक रूप से या विशेष रूप से उसे सौंपा जाना चाहिए। कंपनी एक या एक से अधिक ट्रांसपोर्टरों को नियुक्त करने और इस समझौते की अवधि के दौरान उनके बीच काम वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस तरह के काम के विभाजन के कारण कंपनी के खिलाफ मुआवजे का कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोई भी ट्रांसपोर्टर काम के विभाजन की मांग नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी किसी भी समय एक से अधिक ट्रांसपोर्टरों को काम दे सकती है |
3. अनलोडिंग को आपके द्वारा उद्धृत दर में शामिल किया जाएगा। सहमत दरों में जीएसटी, सेवा कर या अन्य कोई कर शामिल नहीं होंगे |
4. ट्रांसपोर्टर सुनिश्चित करेगा कि:
 - (a) प्लांट परिसर में प्रवेश करने वाले वाहन/ट्रक के पास वैध दस्तावेज होने चाहिए जैसे वाहन फिटनेस, वाहन बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आदि।
 - (b) बाल श्रमिक या महिला श्रमिक को नहीं लगाया जायेगा।
 - (c) प्लांट परिसर में प्रवेश करने वाले वाहन/ट्रक को रिवर्स हॉर्न, दृष्टि दर्पण, चालक की सीट बेल्ट, स्वस्थ टायर आदि के साथ पूरा किया जाना चाहिए। चालक को सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए और वाहन की गति को 10 किमी / घंटा के भीतर सीमित करना चाहिए।
 - (d) ड्राइवर / खलासी संयंत्र के अंदर कोई मिट्टी का तेल या गैस स्टोव एवं ज्वलनशील सामग्री नहीं ले जाएगा और वे प्रतीक्षा समय के दौरान ट्रक के बिन के अंदर ही रहेंगे।
 - (e) आपका परिवहन कर्मचारी (चालक एवं क्लीनर) भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कोविड-19 के संबंध में पूर्ण दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करेगा एवं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. ट्रांसपोर्टर को ई-मेल विवरण प्रदान करना होगा ताकि कंपनी द्वारा भेजा गया कोई भी पत्र /सूचना उसके जारी होने के तुरंत बाद उसे प्राप्त हो सके |
6. कंपनी के द्वारा वितरण आदेश देने के उपरांत 48 घंटों के अंदर ट्रांसपोर्टर द्वारा मटेरिल लोड करना होगा यदि आप इसमें विफल रहते हैं तो कंपनी अन्य ट्रांसपोर्टर से इसे लगा लेंगी और उसका जो अतिरिक्त चार्ज (भाड़ा) एवं 5% पेनलटी लगा के ,कंपनी आपके आपके बिल में काट लेंगी जिसके आप स्वयं जवाबदार होंगे |

7. ट्रांसपोर्टर परमिट, टैक्स फॉर्म (यदि कोई हो) प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जहां भी आवश्यक हो, जैसे अंतर-राज्य प्रवेश मुक्त मार्ग आदि के लिए इन फॉर्मों को कंसाइनर से प्राप्त करने में विफलता और परिणामी देरी पूरी तरह से ट्रांसपोर्टर के जोखिम पर होगी और रास्ते में किसी भी परमिट/निकासी के लिए रोके जाने, भंडारण आदि के कारण किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है।

8. माल को ट्रांसपोर्टर द्वारा पते पर निर्दिष्ट गंतव्य पर डोर डिलीवरी के आधार पर पहुंचाया जाएगा।

9. सभी बुकिंग "टू बी बिल" के आधार पर होगी। प्रस्ताव में चुंगी, टोल टैक्स, और सड़क कर, यदि कोई हो, शामिल होगा। कंपनी ट्रांसपोर्टर को बीमा के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं करेगी।

10. आपका भुगतान 100% ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, आपके द्वारा पावती के साथ बिल जमा करने के बाद 5-7 दिनों के भीतर 80% पेमेंट किया जाएगा और बचा हुआ पैसा 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

पावती में स्पष्ट होना चाहिए -

i- परेषिती की आधिकारिक मुहर, हस्ताक्षर

ii- डिलीवरी की तारीख

iii- वितरित मात्रा (बिना किसी क्षति के)

iv- अन्य टिप्पणी यदि कोई हो

माल में कमी के कारण लागत, माल की देर से डिलीवरी के लिए जुर्माना और माल के नुकसान के मूल्य को ट्रांसपोर्टर को भुगतान करने से पहले परेषक द्वारा काट लिया जाएगा। भुगतान का निपटान करते समय, आवश्यक कटौतियां जैसे आयकर या समय-समय पर लागू कोई अन्य वैधानिक शुल्क प्रभावी होंगे और केवल शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

11. माल को एक जिले के भीतर कई स्थानों पर उतारना पड़ सकता है, जो मुख्य स्थान से 70 किलोमीटर के दायरे में होगा।

12. कंपनी आयकर धारा के प्रावधान के अनुसार ट्रांसपोर्टर को देय भुगतान से स्रोत पर कटौती का अधिकार सुरक्षित रखता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194सी और उसके तहत बनाए गए नियम लागू हैं।

13. ट्रांसपोर्टर किसी भी कारण से माल की डिलीवरी नहीं रोकेगा और किसी भी नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो गलत डिलीवरी के कारण हो सकता है। गंतव्य पर माल की डिलीवरी न होने की स्थिति में ट्रांसपोर्टर मौजूदा बिक्री मूल्य पर उर्वरक और पैकिंग सामग्री की पूरी लागत का वहन करेगा, जिसमें सब्सिडी भी शामिल है। (परेषिती को माल की आपूर्ति न करने के कारण)।

14. गंतव्यों के बीच किसी भी पोतांतरण की अनुमति नहीं है। किसी भी कारण जैसे ब्रेकडाउन, दुर्घटना आदि के लिए यदि ट्रक उचित सीमा से अधिक फंसे हुए हैं, तो ट्रांसपोर्टर को पहले से निर्धारित डिलीवरी समय सीमा के भीतर सड़क मार्ग से माल के सुरक्षित परिवहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। दुर्घटना, ब्रेक-डाउन, सड़क अवरोध आदि जैसी असाधारण न्यायोचित स्थितियों को छोड़कर, किसी भी ट्रांसशिपमेंट की अनुमति नहीं है, यानी कंसाइनी द्वारा प्राप्त ट्रक वही होना चाहिए, जिसमें एलआर में बताए अनुसार मालवाहक द्वारा स्टॉक लोड किया गया था। और यदि जब ट्रांसशिपमेंट का सहारा लिया जाता है और ट्रक नंबर बदल दिया जाता है, तो ट्रांसपोर्टर कम्पनी को सूचित करेगा। कम्पनी द्वारा ट्रांसशिपमेंट स्वीकार नहीं किए जाने के कारण देरी/क्षति के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

15. एलआर / जीसी पर इस बात का कोई समर्थन नहीं किया जाएगा कि खेप को "मालिक के जोखिम" पर ले जाया जाता है और यह केवल "वाहक के जोखिम" पर होगा।

16. ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि (ए) बैग को संभालने के लिए "हुक" का उपयोग नहीं किया जाता है (बी) ट्रक डबल टैरपोलिन से ढके होते हैं जो बारिश आदि से नुकसान से बचने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। (सी) माल को कभी भी खुला नहीं रखा जाता है और (डी) संपूर्ण परिवहन केवल सड़क मार्ग से किया जाता है और परिवहन के किसी अन्य तरीके से नहीं। उत्पाद में कोई भी क्षति ट्रांसपोर्टर को डेबिट की जाएगी।

17. जिस अनुबंध के लिए ये नियम और शर्तें तब तक लागू रहेंगी जब तक कि जिस कार्य के लिए ट्रांसपोर्टर को लगाया गया है वह कम्पनी की पूरी संतुष्टि के लिए पूरी हो जाती है और इसे लिखित रूप में आपसी सहमति पर बढ़ाया जा सकता है।

18. ऊपर बताए गए नियम और शर्तें कम्पनी और ट्रांसपोर्टर पर बाध्यकारी होंगी और उनका संबंध उसी के द्वारा शासित होगा। कम्पनी के पास बिना कोई कारण बताए ट्रांसपोर्टर को 10 दिनों का नोटिस देने के बाद अपनी अवधि के दौरान किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा और ट्रांसपोर्टर समाप्ति पर सवाल उठाने का हकदार नहीं होगा और न ही किसी मुआवजे का हकदार होगा।

ट्रांसपोर्टर के दिवालिया होने या परिसमापन होने या अपने व्यवसाय को समाप्त करने या अनुबंध के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहने या किसी भी कानून के प्रावधान के तहत दोषी ठहराए जाने या दंडित होने की स्थिति में, कम्पनी अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

19. अनुबंध को नियंत्रित करने वाले कानून:

- i) अनुबंध उस समय लागू भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और समय-समय पर संशोधित या बनाया जाएगा।
- ii) परिवहन ठेकेदार समय-समय पर लागू सभी वैधानिक नियमों और विनियमों का पालन करेगा और किसी भी उल्लंघन या उसके अनुपालन के लिए और उसके तहत किए जाने वाले किसी भी भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- iii) परिवहन ठेकेदार कंपनी को सभी दावों, लागतों और शुल्कों से और उनके खिलाफ हानिरहित और क्षतिपूर्ति करेगा, जिसके लिए कंपनी कामगार मुआवजा अधिनियम और उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के तहत उत्तरदायी होगी और जिस खर्च के संबंध में कंपनी को उसके तहत रखा जाएगा। परिवहन ठेकेदार और/या परिवहन ठेकेदार के प्रतिनिधियों, नौकरों और कर्मचारियों के कृत्यों के माध्यम से अनुबंध की अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली या होने वाली व्यक्तिगत चोटें और कंपनी के नौकरों को चोटों (उक्त अधिनियम के अर्थ के भीतर) के संबंध में भी और इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में कर्मचारी। परिवहन ठेकेदार कंपनी को परिवहन ठेकेदार या परिवहन ठेकेदार के प्रतिनिधियों, नौकरों और परिवहन ठेकेदारों के कार्यों और चूक के माध्यम से किसी भी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी दावे, हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। यह क्षतिपूर्ति किसी भी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी न कि इसके बदले में जिसके लिए कंपनी कानून के तहत हकदार होगी।
- iv) परिवहन ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की आवश्यकता के किसी भी अनुपालन का पालन करेगा, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले समय के लिए अन्य सभी औद्योगिक/श्रम कानून लागू होंगे और कंपनी को सभी दावों, भुगतानों, नुकसान जो कंपनी को उसके कारण करना पड़ सकता है या भुगताना पड़ सकता है। परिवहन ठेकेदार जब भी कंपनी या प्रतिमाओं के तहत अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा आवश्यक होगा, निरीक्षण के लिए विभिन्न

कानूनों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी फॉर्म, रजिस्टर और अन्य कागजात प्रस्तुत करेगा।

- v) परिवहन ठेकेदार परिवहन ठेकेदार के उल्लंघन या वाहक अधिनियम 1865 सहित माल की दुलाई से संबंधित नगरपालिका/राज्य/केंद्रीय अधिनियम का पालन न करने से उत्पन्न किसी भी नुकसान या अन्य परिणामों के खिलाफ कंपनी को क्षतिपूर्ति करने का कार्य करेगा।
- vi) परिवहन ठेकेदार द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इस समझौते से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा केवल भीलवाड़ा/राजस्थान के न्यायालय में की जाएगी।
- vii) परिवहन ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, और उसके तहत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और उसके तहत सभी दायित्वों का पालन करेगा। वह कम्पनी के किसी भी खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो कम्पनी, प्रमुख नियोक्ता के रूप में, अधिनियम के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में खर्च कर सकता है।
- viii) फ़ैक्टरी अधिकारी और परिवहन ठेकेदार के बीच किसी भी विवाद, अनुबंध या इसकी व्याख्या से संबंधित होने की स्थिति में, इसे कम्पनी के प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।
- ix) परिवहन ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, ई.एस.आई. के तहत निर्धारित सभी वैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। अधिनियम, 1948 और ईपीएफ अधिनियम, 1952, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य नियम, योजनाएँ, उनके द्वारा नियोजित कामगारों के संबंध में बनाए गए नियम। परिवहन ठेकेदार ठेका श्रमिक (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 के तहत और दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत भी लाइसेंस प्राप्त करेगा।
- x) परिवहन ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित कामगारों के संबंध में एक बीमा पॉलिसी प्राप्त करनी होगी, जो रोजगार के कारण और उसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में भुगतान किए जाने वाले श्रमिकों के मुआवजे को कवर करेगी। कम्पनी परिवहन ठेकेदार से इस अनुबंध से उत्पन्न मुआवजे/निपटान/दावों की राशि या तो भुगतान न करने या परिवहन ठेकेदार द्वारा आवश्यक दायित्व का गैर-अनुपालन करने और कटौती/वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगा। सुरक्षा जमा राशि से या कंपनी द्वारा परिवहन ठेकेदार को देय किसी राशि से।
- xi) परिवहन ठेकेदार विभिन्न अधिनियमों के तहत आवश्यक वैध लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करेगा और लाइसेंस की एक प्रति रिकॉर्ड और प्रमाण के लिए कंपनी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। किसी भी लाइसेंस/अनुमति को प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, कंपनी अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है।



निविदा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया:-

सभी दस्तावेजों/बोलियों/प्रारूपों को हार्ड कॉपी में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कूरियर/हैंड डिलीवरी के माध्यम से निम्न पते पर जमा कराए -

गौतम सुराणा (प्रबंधक विपणन)
ओस्तवाल ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज
5-ओ - 20 / 21 आर. सी. व्यास,
भीलवाड़ा (राजस्थान) -311001

सभी सहायक दस्तावेजों के साथ निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 15.09.2023 समय: अपराह्न 3:00 बजे तक है। निविदा फॉर्म, प्राइस बिड एव सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी 15.09.2023 अपराह्न 3:00 बजे तक निर्दिष्ट मेलआईडी - logisticsho@ostwal.in / gksurana@ostwal.in पर भी मेल करे।

स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई हो, कृपया संपर्क करें:
मेलआईडी: dbhandari@ostwal.in / gksurana@ostwal.in

Ph.- 9257011258 (m) / 9257011285 (m)